न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 09/2019

1. देवानन्द पुत्र बिहारी लाल
2. लाली देवी पत्नी गंगाराम
3. सत्यनारायण पुत्र मुकुन्दाराम
4. मुकेश कुमार पुत्र गंगाराम
5. सरजीत पुत्र गंगाराम
6. सोनू पुत्री छोटूराम
7. कानाराम पुत्र छोटूराम
8. चन्दाराम पुत्र नत्थूराम
9. जगदीश पुत्र छोटूराम
10. नारायण पुत्र छोटूराम
11. रमेश कुमार पुत्र गंगाराम

    समस्तगण जाति रैगर निवासी ग्राम चारा का बास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

–प्रार्थीगण

– बनाम –

1. संतोष पत्नी गणेशा
2. सन्नी पुत्र गणेशा
3. अजय पुत्र गणेशा
4. सुमन पुत्री गणेशा
5. तारी पुत्री गणेशा
6. जीवली पुत्री छोटूराम
7. कमल प्रसाद पुत्र गंगाराम
8. बरजी देवी पत्नी छोटूराम
9. बाबूलाल पुत्र बिहारीलाल
10. सपना पुत्री मुकन्दाराम
11. मंजू पुत्री गंगाराम
12. ममता पुत्री गंगाराम
13. ममता पुत्री छोटूराम
14. मुरारीलाल पुत्र गंगाराम
15. मूलचन्द पुत्र ईश्वर
16. मीरा देवी पत्नी स्व0 बिहारीलाल
17. मोहनी पुत्री छोटूराम
18. परमेश्वरलाल पुत्र ईशर
19. रिंकू कुमार पुत्र बिहारीलाल
20. संजना पुत्री बिहारी लाल

    समस्तगण जाति रैगर निवासीगण ग्राम चारा का बास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)

21. प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
22. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2021.12.10 14:05:57 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र
अं.धारा 111, 128 रा0भू0राज0 अधि0

वकील प्रार्थी : विप्लव पंडित
वकील अप्रार्थी : एक पक्षीय

निर्णय

निर्णय दिनांक 09–03–2021

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा की सरहद में नई खाता संख्या 190 की भूमि खसरा नम्बर 2910 रकबा 0.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 2913 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 2915 रकबा 2.13 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 3.06 हैक्टर स्थित है।

मद संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 20 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है, जो राजस्व रिकॉर्ड में शामलाती दर्ज है। सभी सहखातेदार पत्थर गड्डी करवाने के लिये सहमत है, परन्तु वरवक्त पेश करने प्रार्थना पत्र सभी के हस्ताक्षर करवाया जाना संभव नही होने से प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थीगण के रूप में पक्षकार संयोजित किये गये है। यहां यह भी दर्ज किया जा रहा है कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार गणेशा पुत्र नत्थूराम फौत हो चुका है, इसलिये प्रार्थना पत्र में मृतक गणेशा के वारिसान को अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 05 के रूप में पक्षकार बनाया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 21 के यहां भूमि रहन होने से तथा अप्रार्थी संख्या 22 को भूमिधारक होने से पक्षकार संयोजित किये गये है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित खसरा नम्बर की भूमि का विधिवत सीमाज्ञान करवाने के श्रीमान तहसीलदार नवलगढ के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया तथा श्रीमान तहसीलदार नवलगढ के आदेश क्रमांक 55 दिनांक 26.05.2019 के अनुसार दिनांक 17.07.2019 को पटवारी हल्का परसरामपुरा द्वारा उपस्थित मौतबिरान के समक्ष प्रार्थीगण की भूमि का विधिवत सीमाज्ञान किया गया, जिसकी सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 2910, 2913, 2915 का विधि अनुसार सीमा ज्ञान हो चुका है तथा सीमाज्ञान के अनुसार प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि की सीमा पर पत्थरगढी करवाना चाहते है, जिसके लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है पत्थरगढी करवाने के लिये अप्रार्थी संख्या 22 को तहरीर जारी की जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि राजस्व ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरापुरा की सरहद में नई खाता संख्या 190 की भूमि खसरा नम्बर 2910 रकबा 0.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 2913 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 2915 रकबा 2.13 हैक्अर कुल किता 03 कुल रकबा 3.06 हैक्टर की सीमा पर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थर गढी करने के लिये अप्रार्थी संख्या 22 को आदेश जारी करे, इस हेतु अप्रार्थी संख्या 22 को तहरीर जारी की जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 अन्तर्गत धारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी अप्रार्थीगण जारी अप्रार्थीगणों को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 09, 11 लगायत 20 व 22 की तलबी सम्यक रूप से होने के पश्चात भी इनके ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से वकील श्री विकास कुमार सैनी ने इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या 21 की तलबी लौटकर नही आई। अप्रार्थी नम्बर 21 बैंक है जो फोरमल पक्षकार होने से तलबी करवाई जानी आवश्यक नही है। प्रकरण मे एकपक्षीय कार्यवाही होने से प्रतिवादी नम्बर 10 की ओर से इकबलिया जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया है। तहसीलदार नवलगढ द्वारा दिनांक 17.07.2019 को कराये गये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाये जाने सहमति प्रदान की गई। उक्त विवादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान नियमानुसार पटवारी हल्का एवं गिरदावर हल्का से दिनांक 17.07.2019 को करवाया गया। उक्त सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगड्डी करवाये जाने ... गया है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2021.12.10 14:05:57 IST
Reason: SelfAttested

(पा.दे.)
नवलगढ

5

भूमि में पत्थरगड्डी करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में वकील पक्षकारान की सहमति होने तथा न्यायोचित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी का स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरापुरा की सरहद में नई खाता संख्या 190 की भूमि खसरा नम्बर 2910 रकबा 0.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 2913 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 2915 रकबा 2.13 हैक्अर कुल किता 03 कुल रकबा 3.06 हैक्टर की फर्द मौका (सीमाज्ञान) दिनांक 17.07.2019 के अनुसार वर्णित भूमि के सीमाओं पर नियमानुसार शुल्क राजकोष जमा करवाये जाकर पत्थगड्डी करवाये जाने बावत तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09–03–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़
दमयंति कंवर (R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2021.12.10 14:05:57 IST
Reason: SelfAttested